

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

~~रेकर्ड सिट~~

बनाम

~~इकी सिट~~

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त

212 RTA Act

नं. 236/18 सन 2017

पतावली आज पेश हुई। प्रार्थी रवत सिंह अवालन
 एवं अवालन उका वकील प्रार्थी हलगत प्ररण
 का अर्थ नहीं चमाना चाहते तथा विशा हेतु
 उपपत पेश किया जो शामिल पतावली (मूलवाद)
 ही वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार
 किया जाकर हलगत प्ररण को वादी/प्रार्थी
 अधिवक्ता की बहनति के आधार पर
 जरीम विस्त खरीज किया जाता है साथ ही
 प्रार्थी के उपपत को पुनः लाने के अधिकार
 को सुरक्षित रखा जाता है मिनल फंसल शुमार
 होकर नम्बर से लम हो।
 निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को बसे -याथागम
 में सुनाया गया।

Reutsim

महियकर कलेक्टर
मामा ७७
 जकरान

